संख्या-42/2024-419/22-4-2024-1743789

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक / महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊः दिनाँक- 29 अक्टूबर,2024

विषय- केन्द्रीय / जिला कारागारों के निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-28/2024/251/001-22-4-2024-1743789, दिनांक-29.03.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कारागार विभाग की निष्प्रयोज्य 04 नग एम्बुलेंस के स्थान पर मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० की 03 नग नियो एम्बुलेंस तथा निष्प्रयोज्य 05 नग जीप / जिप्सी की पुर्नस्थापना के स्थान पर मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० की 04 नग बोलेरो बी-4 बी०एस०-6 अर्थात कुल 09 वाहनों के पुनस्थापन के अन्तर्गत कुल 07 नये वाहनों का क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0-74,10892/- (रूपया चौहत्तर लाख दस हजार आठ सौ बानवें मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में अपर महानिरीक्षक (प्र0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12101/नजारत-4/80/वाक्र0/2020, दिनांक 03.05.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक-29.03.2024 द्वारा प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के आलोक में जैम पोर्टल पर अगस्त 2023 की तुलना में मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 की 04 नग बोलेरो की बी-4 बी0एस0-6 का मूल्य 8,73,973/- के स्थान पर रू0 8,84,178/- होने के दृष्टिगत अर्थात प्रति वाहन रू0 10205/- मात्र की बढ़ोत्तरी होने के उपरान्त 04 नग बोलेरो वाहन के मूल्य में कुल बढ़ोत्तरी की **धनराशि रू0 40820/- (रूपया चालीस हजार आठ सौ बीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा0दि0 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहनों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित वाहनों के मेक / मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले वाहनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें।

(5) वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वाहनों के मूल्य के दृष्टिगत किये जाने वाले क्रय के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 21.12.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,820 (रुपये चालीस हजार आठ सौ बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 025 लेखा शीर्षक 4070008002600 समस्त कारागार मानक मद 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-12-141-X-2024-25, दिनांक: 28.10.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2024-**419/22-4-2024- 1743789**, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्युयक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।